

अधिसूचना दिनांक 2/10/2015  
**अंतिम विनियम**

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग  
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, भोपाल- 462016

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर, 2015

क्रमांक 1737/म.प्र.वि.नि.आ./2015 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 181 की उप धारा (2) के खण्ड (य त) के साथ पठित धारा 86 की उप धारा (1) के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्रोतों से विद्युत् का सह-उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करता है, अर्थात् :-

**संशोधन**

**ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्रोतों से विद्युत् का सह-उत्पादन तथा उत्पादन (पुनरीक्षण प्रथम)  
विनियम, 2010 में पंचम संशोधन**

विनियम क्रमांक 4.1 से सम्बन्धित विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात् :-

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा का विद्युत् सह-उत्पादन तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत		
	सौर ऊर्जा (प्रतिशत)	गैर सौर ऊर्जा (प्रतिशत)	कुल (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
2010-11	—	0.80	0.80
2011-12	0.40	2.10	2.50
2012-13	0.60	3.40	4.00
2013-14	0.80	4.70	5.50
2014-15	1.00	6.00	7.00
2015-16	1.00	6.00	7.00
2016-17	1.25	6.50	7.75
2017-18	1.50	7.00	8.50
2018-19	1.75	7.50	9.25

आयोग के आदेशानुसार  
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव